संख्या-4/1059/63-व0उ0-2014-55(एच)/05

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2014**

विषय- स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत पालिसी वर्ष 2014-15 के लिये राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1030/हेल्थ इन्श्यो0यो0/2014-15, दिनांक 20;08;2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुनकरों की स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 6,22,05,000.00 (रूपया छह करोड. बाइस लाख पॉच हजार मात्र) में से रू0 62,01,879.00 (रूपया बासठ लाख एक हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में वर्णित धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 एवं उक्त योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनी के दावे का भुगतान तभी किया जायेगा, जब निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग दावे के सम्बन्ध में पूर्णतया संतुष्ट हो लेंगे।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ का होगा।

4' उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 62,01,879.00 (रूपया बासठ लाख एक हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-130-हथकरघा उद्योग-आयोजनागत-0103-बुनकरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1059(1)/63-व0उ0-2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सॉख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6- वित्त (ई-6) अनुभाग/वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज बहादुर
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in